

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर  
पीठाधीन अधिकारी :- श्री राम लाल भीणा आर.ए.एस.,  
राजस्व आवेदन संख्या - 45/2025  
उन्वान

प्रार्थीगण

1. दुर्गाराम पुत्र प्रभुराम जाति भील निवासी  
गागरिया स्टेशन तहसील रामसर।



विप्रार्थीगण

1. चिन्दुराम पुत्र वकीलाराम जाति जोगी
2. श्रीमती कमली पत्नी फोटाराम जाति जोगी
3. श्रीमती गोपीदेवी पत्नी फोटाराम जाति भील निवासी  
गागरिया स्टेशन।
4. प्रभुरामपुत्र भीलराम जाति भील
5. हीराराम पुत्र भीलराम जाति भील
6. बुलाराम पुत्र सांगाराम जाति भील निवासी रियाई।
7. श्रीमती रहीमादेवी पत्नी चतुराम जाति भील निवासी  
चाडवा उर्फ झाडवा तहसील रामसर।
8. तहसीलदार रामसर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 वारते नेखमबंदी  
दिनांक :- 26.09.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 20.01.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा गागरिया स्टेशन पटवार मण्डल गागरिया भूअनि गागरिया के खसरा संख्या 146/67 रकबा 0.0567 हेक्टर उनको खाते की कृषि भूमि अवस्थित है। उक्त वादवारत भूमि के विप्रार्थीगण पड़ोसी है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य आराजियात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिससे कि प्रार्थी अपने खेत की कृषि भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण के अवलोकन में यह तथ्य प्रमाणित है कि विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खेत की कृषि भूमि की नेखमबंदी करवाने का हकदार है। विप्रार्थीगण को सम्मन रजिस्टर्ड जारी होने बावजूद उपस्थित नहीं एवं जवाब प्राप्त नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अतः प्रार्थना पत्र न्यायालय में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। बहस सुनी गई।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध विप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर मौजा गागरिया स्टेशन पटवार मण्डल गागरिया भूअनि गागरिया के खसरा संख्या 146/67 रकबा 0.0567 हेक्टर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार रामसर को 1000/- अक्षरों रुपये एक हजार रुपये मात्र पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार रामसर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उपरोक्त आराजियात में मौके पर विवाद होने, किसी न्यायालय में रथगन एवं मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में नेखमबंदी की कार्यवाही नहीं की जावे। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों/अधिसूचनाओं में दिये गये दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए, गुरतवहील बिन्दु को आधार मानकर नेखमबंदी की कार्यवाही की जावे तथा उक्त प्रकरण में दर्ज सभी प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण को लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में उक्त खसरे के पक्के नेखम स्थापित करें। कमिश्नर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। आवश्यकतानुसार तहसीलदार रामसर को संबंधित पुलिस थाने से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। उपरोक्तानुसार नेखमबंदी की समयबद्ध पालना की जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावे।

यह आदेश आज दिनांक 26.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

(राम लाल भीणा) 26/9/2025

उपखण्ड अधिकारी रामसर

दिनांक : 14/10/2025

क्रमांक : रीडर/2025/ 875-70  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर को भेजकर लेख है कि प्रकरण में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर 15 दिवस में पालना से न्यायालय को अवगत करावे।
2. थानाधिकारी रामसर।
3. प्रार्थी दुर्गाराम पुत्र प्रभुराम जाति भील निवासी गागरिया स्टेशन तहसील रामसर।
4. विप्रार्थीगण श्री चिन्दुराम पुत्र वकीलाराम वगैरह।



उपखण्ड अधिकारी रामसर